आज का दिन | 1985 में मुक्केबाजी में भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने

आम लोगों की तरह सड़क पर कार चलाने का इम्तिहान देना होगा

दिव्यांगों का भी डीएल बनेगा

हिन्दुस्तान
एक्सक्लूसिव

नई दिल्ली | अरविंद सिंह

केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर शारीरिक रूप से अक्षम लोगों (बधिरों) को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने का अधिकार दिया है। हालांकि डीएल हासिल करने के लिए उन्हें आम लोगों की तरह सड़क दौड़ते वाहनों के बीच कार चलाने का कड़ा इम्तिहान देना होगा। विश्व के कई देशों में बधिरों को कार चलाने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्यों के प्रमुख सचिवों (परिवहन), सचिवों (परिवहन), परिवहन आयुक्तों को यह आदेश जारी किया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 1988 में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को डीएल बनवाने का हक नहीं है। लेकिन नए नियम में ऊंचा सुनने वाले अथवा बधिर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) से अपना डीएल बनवा सकेंगे।

अधिकारी ने बताया कि मुंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद सरकार ने बधिरों को डीएल बनवाने का अधिकार दिया है। इसके लिए मंत्रालय के संयुक्त सचिव (परिवहन) व एम्स के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने इस विषय पर गहना से चर्चा की। एम्स के डॉक्टरों की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद सभी राज्यों से इस पर राय मांगी गई। राज्यों ने सुझाव में कहा कि विकसित देशों में बधिरों को कार चलाने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

विशेषज्ञ सहमत नहीं

सड़क परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञ सरकार के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत नहीं है। तर्क है कि विदेशों में कारें क्रैश टेस्ट पास होने के बाद ही सड़कों पर आती है। कार क्रैश टेस्ट में कार की एक निर्धारित गति में टक्कर कराई जाती है, जिससें चालक सुरक्षित बच जाता है। पर भारत में अभी क्रैश टेस्ट अनिवार्य नहीं है।

बधिर बनवा सकेंगे लाइसेंस

1988 के मोटर अधिनियम में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को डीएल नहीं बनता

2009 में मुंबई में बधिर लोगों ने डीएल के लिए सड़क पर उतर कर आंदोलन किया था

खास चिन्ह लगाना होगा

ड्राइवरों को अपने वाहन पर 'बधिर वाहन' की पहचान वाला एक खास चिन्ह लगाना जरूरी होगा।